सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 86/2018 दायर तारीख :– 27-12-2018

1. श्रवण पुत्र रूघानाथ
2. सुवालाल उर्फ डिप्टी पुत्र रूधानाथ
3. सावित्री देवी पत्नि स्व0 फूलाराम
4. सरिता पुत्री स्व0 फूलाराम
5. किशन पुत्र स्व0 फूलाराम
6. छोटू पुत्र स्व0 फूलाराम

समस्त जाति जोगी निवासी जोधूला ऊपला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। —— वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र धोकल
2. मूल देवी पत्नि रामदेव

समस्त जाति गुर्जर निवासी जोधूला ऊपला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

3. जगदीश पुत्र श्रवण
4. इन्द्राज पुत्र छीतर
5. रिछपाल पुत्र शिम्भू

समस्त जाति गुर्जर निवासी जोधूला निचला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

6. सन्तोष देवी पत्नि राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी सताना तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0
7. प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
8. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत भूमि बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री चिरंजीलाल रैगर, अधिवक्ता वादीगण
श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 25.08.2020

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जोधूला उपला के खसरा नंबर 107/0.02, 108/0.06, 109/0.06, 110/0.05, 111/0.03, 112/0.09, 113/0.23, 114/0.10, 115/0.20, 116/0.17, 407/0.17, 408/0.06, 410/0.07, 411/0.07, 412/0.06, 413/0.06, 414/0.03, 417/0.16, 418/0.12, 419/0.09, 420/0.13 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर में हिस्सा 1/8 वादी संख्या 1, हिस्सा 1/8 वादी संख्या 2, हिस्सा 1/8 वादी संख्या 3 लगायत 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं उक्त आराजी भूमि का हिस्सा

Web Copy - Not Official

2300/7612 दर हिस्सा 3/8 खातेदार राधेश्याम से वादी संख्या 1 एवं वादिया संख्या 4 ने प्रतिफल राशि का भुगतान कर क्रय कर लिया है, जो वर्तमान में वादी संख्या 1 एवं वादिया संख्या 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज है। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज रहकर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान में भी भूमि पर शामलात में हाल आबाद रहकर काबिज काश्त है। यह है कि वाद ग्रस्त आराजी भूमि का ना तो अभी तक विधिक बंटवारा हुआ है ना ही बाहमी बंटवारा हुआ है, बल्कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 शामिल में रहकर जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मन मे बदनियति उत्पन्न हो गई है एवं अच्छी–अच्छी व उपजाउ भूमि पर काबिज होकर दीगर भू–माफिया लोगों को अच्छी व उपजाउ भूमि उंचे दामों में बेचना चाहते है, यदि प्रतिवादीगण अच्छी व उपजाउ भूमि पर काबिज होकर अपने हिस्से की भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचान कर अच्छी व उपजाउ भूमि पर कब्जा करवा देगें तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन राशि में किया जाना संभव नहीं होगा। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद ग्रस्त भूमि का अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है, सम्पूर्ण भूमि पर सभी खातेदारान का संयुक्त रूप से कब्जा है किसी भी विशिष्ठ भू–भाग पर काबिज होकर प्रतिवादीगण को भूमि बेचान करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ हैं। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम जोधूला ऊपला के हाल खसरा नंबर 107/0.02, 108/0.06, 109/0.06, 110/0.05, 111/0.03, 112/0.09, 113/0.23, 114/0.10, 115/0.20, 116/0.17, 407/0.17, 408/0.06, 410/0.07, 411/0.07, 412/0.06, 413/0.06, 414/0.03, 417/0.16, 418/0.12, 419/0.09, 420/0.13 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक बंटवारा किया जाकर वादीगण को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण के नाम से पृथक से पर्चा बनाया जावे एवं अलग से लगान का निर्धारण किया जावे, जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तद्नुसार नक्श में तरमीम किया जावें। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण को बंटवारे में प्राप्त भूमि में किसी भी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए, जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम जोधूला ऊपला खाता संख्या 129 संवत् 2070–2073, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम जोधूला ऊपला आदि पेश किये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के जवाब दावे में कथन रहे कि प्रतिवादी संख्या 2 को हिस्सा 80/203 दर हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 को हिस्सा 1087/7612 दर हिस्सा 3/8, प्रतिवादी संख्या 4 को हिस्सा 1413/7612 दर हिस्सा 3/8 एवं हिस्सा 43/203 दर हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 को हिस्सा 1412/7612 दर हिस्सा 3/8 एवं प्रतिवादी संख्या 6 को हिस्सा 1400/7612 दर हिस्सा 3/8 का प्रतिवादीगण का भी बंटवारा एवं वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की आपत्ति एवं ऐतराज नहीं है।
5. तारीख पेशी 06.02.2020 को अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने के कारण प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।
6. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
7. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम जोधूला उपला के खसरा नंबर 107/0.02, 108/0.06, 109/0.06, 110/0.05, 111/0.03, 112/0.09, 113/0.23, 114/0.10, 115/0.20, 116/0.17, 407/0.17, 408/0.06, 410/0.07, 411/0.07, 412/0.06, 413/0.06, 414/0.03, 417/0.16, 418/0.12, 419/0.09, 420/0.13 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर में हिस्सा 1/8 वादी संख्या 1, हिस्सा 1/8 वादी संख्या 2, हिस्सा 1/8 वादी संख्या 3 लगायत 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं उक्त आराजी भूमि का हिस्सा 2300/7612 दर हिस्सा 3/8 खातेदार राधेश्याम से वादी संख्या 1 एव वादिया संख्या 4 ने प्रतिफल राशि का भुगतान कर क्रय कर लिया है, जो वर्तमान में वादी संख्या 1 हिस्सा 1150/7612 एवं वादिया संख्या 3 हिस्सा 1150/7612 `के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज है। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज रहकर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान में भी भूमि पर शामलात में हाल आबाद रहकर काबिज काश्त है। आराजी मुतानाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ हैं। जिससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा हो रहा। अतः प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल निमय 18 से 21 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया है। पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर उपस्थित पक्षकारान ने सहमति पेश की, तथा उभय पक्षकारान मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव बंटवारा किये जाने पर सहमत है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

9. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	1. श्रवण पुत्र रूघनाथ हिस्सा 1/3 जाति जोगी सा. देह राहिन RMGB शाखा मैड़ मूर्तहीन 2. सुवालाल उर्फ डिप्टी पुत्र रूघनाथ हिस्सा 1/3 जाति जोगी सा. देह राहिन RMGB शाखा मैड मूर्तहीन 3. सावित्री देवी पत्नि फूलाराम हिस्सा 1/12 जाति जोगी सा. देह 4. किशन पुत्र फूलाराम हिस्सा 1/12 जाति जोगी सा. देह 5. राजू पुत्र फूलाराम हिस्सा 1/12 जाति जोगी सा. देह 6. सुनिता पुत्री फूलाराम हिस्सा 1/12 जाति जोगी सा. देह	107/0.02, 108/0.06, 109/0.06, 110/0.05, 111/0.03, 112/0.09, 114/0.10, 115/0.20, 417/0.06, 418/0.0913 हैक्टेयर
2	1. श्रवण पुत्र रूघनाथ हिस्सा 1/2 जाति जोगी सा. देह राहिन RMGB शाखा मैड़ मूर्तहीन 2. सावित्री देवी पत्नि फूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति जोगी सा. देह	113/0.23 हैक्टेयर
3	मूली पत्नि रामदेव हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा. देह	116/1/0.0850, 407/1/0.1150 हैक्टेयर
4	सन्तोष पत्नि राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. सताना खातेदार	420/0.13, 418/1/0.01 हैक्टेयर
5	1. रिछपाल पुत्र शिम्भू हिस्सा 1412/6987 जाति गुर्जर सा. देह 2. इन्द्राज पुत्र छीतर हिस्सा 2488/6987 जाति गुर्जर सा. देह 3. जगदीश पुत्र धोंकल हिस्सा 2000/6987 जाति गुर्जर सा. देह 4. जगदीश पुत्र श्रवण हिस्सा 1087/6987 जाति गुर्जर सा. देह	410/0.07, 411/0.07, 412/0.06, 413/0.06, 414/0.03, 417/1/0.10, 407/0.0550, 408/0.06, 418/2/0.0187, 419/0.09, 116/0.0850 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर
बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. श्रवण पुत्र रूघानाथ
2. सुवालाल उर्फ डिप्टी पुत्र रूधानाथ
3. सावित्री देवी पत्नि स्व0 फूलाराम
4. सरिता पुत्री स्व0 फूलाराम
5. किशन पुत्र स्व0 फूलाराम
6. छोटू पुत्र स्व0 फूलाराम

समस्त जाति जोगी निवासी जोधूला ऊपला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। —— वादीगण

बनाम

1 जगदीश पुत्र धोकल
3. मूल देवी पत्नि रामदेव
} समस्त जाति गुर्जर निवासी जोधूला ऊपला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

4. जगदीश पुत्र श्रवण
5. इन्द्राज पुत्र छीतर
6. रिछपाल पुत्र शिम्भू
} समस्त जाति गुर्जर निवासी जोधूला निचला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

7. सन्तोष देवी पत्नि राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी सताना तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0
8. प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
9. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 86/2018 दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू श्री चिरंजी लाल रैगर, अधिवक्ता वादीगण व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वाकै ग्राम जोधूला ऊपला के हाल खसरा नंबर 107/0.02, 108/0.06, 109/0.06, 110/0.05, 111/0.03, 112/0.09, 113/0.23, 114/0.10, 115/0.20, 116/0.17, 407/0.17, 408/0.06, 410/0.07, 411/0.07, 412/0.06, 413/0.06, 414/0.03, 417/0.16, 418/0.12, 419/0.09, 420/0.13 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिक बंटवारा किया जाकर वादीगण को पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण के नाम से पृथक से पर्चा बनाया जावे एवं अलग से लगान का निर्धारण किया जावे, जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल

दरामद कराया जावे तद्नुसार नक्श में तरमीम किया जावें। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण को बंटवारे में प्राप्त भूमि में किसी भी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

सुना गया। वादीगण का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर उभय पक्षकारान सहमत है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	1. श्रवण पुत्र रूघनाथ हिस्सा 1/3 जाति जोगी सा. देह राहिन RMGB शाखा मैड़ मूर्तहीन 2. सुवालाल उर्फ डिप्टी पुत्र रूघनाथ हिस्सा 1/3 जाति जोगी सा. देह राहिन RMGB शाखा मैड मूर्तहीन 3. सावित्री देवी पत्नि फूलाराम हिस्सा 1/12 जाति जोगी सा. देह 4. किशन पुत्र फूलाराम हिस्सा 1/12 जाति जोगी सा. देह 5. राजू पुत्र फूलाराम हिस्सा 1/12 जाति जोगी सा. देह 6. सुनिता पुत्री फूलाराम हिस्सा 1/12 जाति जोगी सा. देह	107/0.02, 108/0.06, 109/0.06, 110/0.05, 111/0.03, 112/0.09, 114/0.10, 115/0.20, 417/0.06, 418/0.0913 हैक्टेयर
2	1. श्रवण पुत्र रूघनाथ हिस्सा 1/2 जाति जोगी सा. देह राहिन RMGB शाखा मैड़ मूर्तहीन 2. सावित्री देवी पत्नि फूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति जोगी सा. देह	113/0.23 हैक्टेयर
3	मूली पत्नि रामदेव हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा. देह	116/1/0.0850, 407/1/0.1150 हैक्टेयर
4	सन्तोष पत्नि राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. सताना खातेदार	420/0.13, 418/1/0.01 हैक्टेयर
5	1. रिछपाल पुत्र शिम्भू हिस्सा 1412/6987 जाति गुर्जर सा. देह 2. इन्द्राज पुत्र छीतर हिस्सा 2488/6987 जाति गुर्जर सा. देह	410/0.07, 411/0.07, 412/0.06, 413/0.06, 414/0.03, 417/1/0.10, 407/0.0550, 408/0.06, 418/2/0.0187,

	3. जगदीश पुत्र धोंकल हिस्सा 2000/6987 जाति गुर्जर सा. देह 4. जगदीश पुत्र श्रवण हिस्सा 1087/6987 जाति गुर्जर सा. देह	419/0.09, 116/0.0850 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 25.08.2020** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर